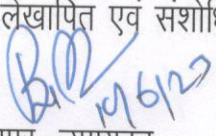
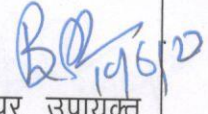


अपर उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज
राजस्व विविध वाद संख्या:- 41/1994-95
सरकार(अंचल अधिकारी, राजमहल)-बनाम-बिहारी मंडल

एवं आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
10.06.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अपीलार्थी-अंचल अधिकारी, राजमहल ने अभिलेख हस्तांतरित करते हुए सूचित किया है कि मौजा- गदाई दियारा, खाता नं0-945, दाग नं0-2367, रकवा-11-01-01 धूर जमीन खतियान में सरकारी जमीन है जो बिहारी मंडल के नाम से बंदोबस्त किया गया है। बोगस जमाबंदी रदद किये जाने हेतु वाद की सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ है। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु अपीलार्थी एवं विपक्षी स्वयं या विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद से संबंधित कोई भी लिखित बहस या दलील प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूँकि बिगत कई वर्षों से उक्त वाद में उभय पक्ष अनुपस्थित रहे है जिससे यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। अतएव बिना किसी प्रभावकारी आदेश के वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अपर उपायुक्त, साहेबगंज।	 अपर उपायुक्त, साहेबगंज।